



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक -08.09.2023

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये आज दिनांक 08.09.2023 को कुल 04 अभियोगों में 05 अभियुक्तगणों को मानव न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण प्रथम- थाना एट में मु0अ0सं0 62/94 (वाद संख्या - 627/02) धारा 379/411/41 भादवि बनाम 1. अखिलेश पुत्र तिजई अहिरवार 2. रामशंकर पुत्र नाथूराम अहिरवार नि0 कस्बा व थाना एट जनपद जालौन पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय अपर सिविल जज/ जे.एम. काँच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. अखिलेश 2. रामशंकर उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अर्वाधि एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- थाना रेंढर में मु0अ0सं0 156/96 (वाद संख्या - 383/02) धारा 323/504/506 भादवि बनाम कलू पुत्र ग्यासी राठौर नि0 ग्राम क्यौलारी थाना रेंढर जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय ए.जे.एम. काँच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त कलू उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अर्वाधि एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय- थाना नदीगांव में मु0अ0सं0 70/2001 (वाद संख्या - 361/2002) धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम कढोरे पुत्र पुनू नि0 कस्बा व थाना नदीगांव जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय ए.जे.एम. काँच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त कढोरे उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अर्वाधि एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण चतुर्थ- थाना कैलिया में मु0अ0सं0 92/2001 (वाद संख्या - 1140/2002) धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र लक्ष्मी नारायन नि0 मुडेरा गुदरी थाना कोतवाली झांसी जनपद झांसी के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय ए.जे.एम. काँच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अर्वाधि एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।